

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी : श्री कना

विपक्षी : श्री मोहन

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

पत्रावली संख्या : 30/20

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 21.02.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दस्तावेज पेश किये। शामिल फाईल रहे। विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1 से 2 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी व विपक्षी सं. 1, 2 एवं अन्य सहखातेदारान के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा अम्बा उर्फ अम्बावा के पुत्र मांगीया उर्फ मांगू जो कि विपक्षी सं. 1, 2 के पिता/पति है तेजा पिता हीरा के गोद चले जाने से मांगीया उर्फ मांगू के नाम दर्ज भूमि विरासत से विपक्षी सं. 1, 2 के नाम दर्ज होने से विपक्षी सं. 1, 2 के नाम दर्ज भूमि में हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया है उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1, 2 एवं अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज हैं। यदि विपक्षी सं. 1, 2 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी सं. 1, 2 उक्त भूमि को विक्रय कर देता है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर मेरिट पर तय किये जावेंगे। अतः विपक्षी सं. 1, 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :-</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर किया जाता है कि मौजा नामरी पटवार हल्का नामरी की आराजी नम्बर 132, 539, 540, 541 किता 4 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा एवं आराजी नम्बर 133, 151 किता 2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि में विपक्षी सं. 1, 2 मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(उपेन्द्र कुमार शर्मा) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

